



बीकाने नीलम बहरीन का नाम : बिक्रमपूर

दिनांक 11-2-13

प्रस्तुत कार्यवाही बीकाने नीलम बहरीन की ज़रूरत बहरीनवा निवासी महरीनी परमाना व तहसील महरीनी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 24-1-13 के आधार पर प्रारम्भ की गयी, जिसके द्वारा निम्नलिखित बात कि राजस्व ग्राम बिक्रमपूर परमाना व तहसील महरीनी के ताकत संख्या 474 गाटा संख्या 1057 मि. रकबा 1-683 हे. की वह काबिल दमीलके संग्रमणीय भूमिगत है और उक्त भारतीय उपरोक्त विस्तार के नन्दाकुल क्षेत्र से जुड़ी हुई है और बलिनपुर रोड के किनारे पर स्थित होने के कारण व्यावसायिक गतिविधियों प्रारम्भ हो गयी है और मध्ये अन्तराल से उक्त मूमाम पर कृषि कार्य नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में परिस्थितियों को संशान्ति करने हेतु उचित उपायों की द्वारा 143 के अन्तर्गत कृषि कार्य से परे भूमि का प्रवर्धन करने की कृपा की जाय। जिले भर कृषि प्रवर्धन में कोई प्रवन्ध नहीं है।

प्रार्थनी के उक्त प्रार्थनापत्र के आधार पर तहसीलदार महरीनी से उत्तर प्राप्त की गयी, जिसके द्वारा उन्होंने अवगत कराया है कि उक्त गाटा संख्या बीकाने नीलम बहरीनवा के नाम 1-683 हे. उचित है और संग्रमणीय भूमिगत काबिलता के रूप में दर्ज है। मीठे पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है, बालिक स्कूल का संघालन हो रहा है और उक्त धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की आवश्यकता उपाय करायी गयी है। उक्त रकबे पर कृषि बागवानी या पशुपालन, मत्स्य सम्बंधन कुटकुट पालन से भिन्न प्रयोजन, स्कूल संघालन हो रहा है।

मैंने, पत्रावली का विधिक परिशोधन किया, मैं तहसीलदार, महरीनी द्वारा सम्प्रेषित रिपोर्ट से सहमत हूँ और यह 80 एक्ट की धारा 143 की उपधारा 2 के अन्तर्गत उपरोक्त भूमि को को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने का आदेश देता हूँ। तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद की कार्यवाही की जाय, बाव अमुकालन आदेश एवं वैधारी पत्रावली वापस लाने की जाये।

डी. जी. ए. ए. ए. ए.  
परगनाधिकारी/सहायक जे. ए. ए.,  
प्रथम कक्षा, महरीनी, ललितपुर

दिनांक 11-2-13

प्रतिलिपि: तहसीलदार, महरीनी को उपरोक्तानुसार अमलदरामद हेतु भेजा।  
2- उप नियन्त्रक महरीनी को इस निर्देश के साथ कि उक्त प्रवर्धन को विनियमित त प्राधिकारों के अन्तर्गत भारतीय राजस्व अधिनियम 1908 में किसी बाद के रकबे हेतु भी बिना किसी अकृषिक किये स्थित रीति से पंजीकृत करें।

दिनांक 11-2-13  
15-2-13  
7-2-13  
4-2-13

बतौर निदेशक  
मिलनी कला  
अनुमोदित


डी. जी. ए. ए. ए.  
परगनाधिकारी/सहायक जे. ए. ए.,  
प्रथम कक्षा, महरीनी, ललितपुर

दिनांक 11-2-13

## प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आराजी संख्या 1057 रकवा 3.367 हेक्टेयर का 1/2 भाग 1.685 हेक्टेयर श्रीमती नीलम बड़ौनियों पति श्री दुष्यंत बड़ौनियों निवासी करबा महरौनी, जिला-ललितपुर के नाम ग्राम-किसरदा, तहसील-महरौनी, जिला-ललितपुर में है। उक्त भूमि विवाद रहित है।

1. संपूर्ण रकवा एक ही गाटे में है।
2. अकृषिक भूमि घोषित हो चुकी है।
3. उक्त भूमि के मध्य से नाली, चक रोड, रास्ता, कब्रिस्तान, शमशान, रेलवे लाइन, जलमग्न क्षेत्र नहीं है।
4. प्रस्तावित भूमि में भवन एवं अवशेष भूमि का उपयोग किसी भी कार्य के लिये वर्तमान में नहीं किया जा रहा है। भवन एवं भूमि खाली है।

  
24/05/2022  
नदीप खरे  
क्षेत्र अधिकारी  
तहसील - महरौनी